(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE – EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, INDRAPRASTHA ESTATE, NEW DELHI

No. F.14(33)/LA-2005/ LJ/06/ 7781 Dated the 8th December, 2006.

NOTIFICATION

No.F. 14(33)/LA-2005- The following Act of the Legislative Assembly of Delhi received the assent of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi on the 2nd December, 2006 and is hereby published for general information: -

"THE DELHI CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2006
(DELHI ACT 8 OF 2006)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 7th November, 2006).

[2nd December, 2006]

An Act further to amend the Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004).

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows: -

Short title, extent and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Delhi Co-operative Societies **(Amendment)** Act, 2006.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

Amendment of section 20.

2. In the Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004) (hereinafter referred to as "the principal Act"), in section 20, to sub-section (5), the following proviso shall be inserted, namely: -

DVS

"Provided that in the case of a co-operative society which has not conducted audit **or** annual general body meeting for five consecutive years **or** has no fixed assets and outside liabilities excluding share money of the members, such society shall be deemed to have been dissolved and shall cease to exist as corporate body after the expiry of the said period of five years."

Amendment of section 25.

3. In the principal Act, in section 25 -
(a) in the proviso, after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-

"(e) if a co-operative society becomes defunct and has ceased to function in accordance with the bye-laws and co-operative principles, its representative shall have no voting right in the affairs of a federal co-operative society or financial bank or financial society".

(b) the existing Explanation shall be numbered as Explanation I and after the Explanation I as so numbered, the following Explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation II. –Defunct society means a society which has not carried on business for three consecutive years or its accounts have not been audited for three or more consecutive years."

Amendment of Section 35.

4. In the principal Act, in section 35, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely: -

"(1) The superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls for, and the conduct of elections of the members of the committee of, a co-operative society shall be vested in the committee which shall appoint returning officer who shall not be a member or an employee of the society:

Provided that on the request of the committee or one-sixth members of the society, and in case of dispute in a society, the Registrar may appoint the returning officer to conduct the election of a society:

Provided further that the Government shall appoint returning officer, not below the rank of a gazetted officer or a retired gazetted officer to conduct the election of a co-operative bank, financial bank, federal co-operative society and such housing society as has been allotted land and draw of lots has not been conducted in accordance with the provisions of section 77 and such housing society as is awaiting allotment of land.

DVS

Amendment of section 60.

5. In the principal Act, in section 60, in sub-section (1), for the words "ninety days from the close of cooperative year" the words "one hundred twenty days from the prescribed date for making up its account for the year" shall be substituted.

Amendment of section 75.

6. In the principal Act, to section 75, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that a cooperative house building society may admit to its membership more than the plots allotted in case the plot owner has constructed and sold floors, by charging transfer fee of five thousand rupees and share money and admission fee as per provisions of the by-laws of the society and in that case the committee shall grant membership within a period of thirty days after the submission of application for grant of membership by such applicant and in case of refusal by the committee, the applicant may appeal to the Registrar within thirty days of the refusal by the committee and the decision of the Registrar in such appeal shall be final.

Amendment of section 77.

7. In the principal Act, in section 77, in sub-section (1), for the words "by the Registrar", the words "by the Registrar with the prior approval of a committee as prescribed" shall be substituted.

Amendment of section 79.

8. In the principal Act, in section 79, in clause (a), the words "by paying the transfer fee" occurring at the end thereof, shall be omitted.

Substitution of new section for section 91.

9. In the principal Act, for section 91, the following section shall be substituted, namely:-

"91. A member of a housing society who has sold his plot or flat on the power of attorney or agreement for sale or by sale deed, shall cease to be a member of that society from the date of the sale of plot or flat:

Provided that the purchaser having registered power of attorney or registered agreement for sale or registered sale deed, as the case may be, in respect of such plot or flat, may apply for membership by paying transfer fee of five hundred rupees and share money and admission fee as per the provisions of the bye-laws of the society and the committee shall grant membership to the applicant within thirty days after the submission of his application. In case of refusal by the committee, the applicant may appeal to the Registrar within thirty days and the decision of the Registrar shall be final:

Provided further that no purchaser shall be entitled for more than one membership in a housing society".

Amendment of section 92.

10. In the principal Act, in section 92, in sub-section (6), for the words "of the total membership of the co-operative housing society", the words " the members present in the meeting" shall be substituted.

Amendment of section 96

11. In the principal Act, in section 96, in sub-section (1) (i) for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(a) has not commenced business within one hundred eighty days from the date of its registration or the number of members has been reduced to less than fifteen;

DVS

(b) has not carried on business for two consecutive years in accordance with the bye-laws and the co-operative principles; or

(c) has not got the accounts of the society audited since last three or more consecutive years;

(ii) in the concluding portion commencing with the word "he shall send" and ending with the words "carrying on business", the words "or got its accounts audited" shall be inserted at the end thereof;

(iii) In sub-section (2) in clause (ii) for the words "business; or" occurring at the end thereof, the words "business or got its accounts audited; or" shall be inserted.

Amendment of section 139.

12. In Principal Act, section 139 shall be renumbered as sub-section (1) of that section and after sub-section (1) as so renumbered the following sub-section shall be inserted, namely: -

"(2) Where a member or creditor having interest in affairs of a society seeking information prefers an appeal to the Registrar stating that the officer of the society without any reasonable cause, has refused to receive his application for providing information or has not furnished information within the time specified under sub-section (1) or has refused the request for information or knowingly given incorrect information or obstructed in any manner in furnishing the information, the Registrar, after affording a reasonable opportunity of being heard to the officer of the society and the appellant, may either reject the appeal; or direct the officer of the society to furnish information within the period specified in the order or such extended period as may be allowed, and in case of default the Registrar may impose a penalty of two hundred and fifty rupees each day till the information is furnished, so however, the total amount of such penalty shall not exceed ten thousand rupees which shall be recoverable as arrears of land revenue in case of default in payment." "

(Rakesh Syal)
Joint Secretary (Law, Justice & L.A.)

(दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
8वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

सं. फा. 14(33)एल.ए.–2005/एल.जे./06/7731 दिनांक 8 दिसम्बर, 2006

अधिसूचना

सं. फा. 14(33)एल.ए.–2005 – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप–राज्यपाल की दिनांक 2 दिसम्बरर, 2006 को मिली अनुमति के पश्चात् दिल्ली विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण की सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है ।

"दिल्ली सहकारी समितियॉं (संशोधन) अधिनियम, 2006
(2006 का दिल्ली अधिनियम 8)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा दिनांक 7 नवम्बर, 2006 को यथा पारित)

[2 दिसम्बर, 2006]

दिल्ली सहकारी समितियॉं अधिनियम, 2003, (2004 का दिल्ली अधिनियम 3) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य में सत्तावनवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाए :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ । 1. (1) इस अधिनियम को दिल्ली सहकारी समितियॉं (संशोधन) अधिनियम,2006 कहा जाएगा ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर है ।
(3) यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत तिथि से लागू होगा ।

धारा 20 का संशोधन । 2. दिल्ली सहकारी समितियॉं अधिनियम, 2003(2004 का दिल्ली अधिनियम 3) (जिसे इसमें इसके पश्चात"मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 20 की उपधारा (5) में निम्नलिखित परन्तुक को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात:–
"परन्तु यदि ऐसी सहकारी समिति जिसकी पांच लगातार वर्षों से लेखा परीक्षा या वार्षिक महासभा बैठक नहीं हुई है या सदस्यों की शेयर राशि को छोड़कर कोई अन्य अचल परिसंपत्ति या बाहरी दायित्व नहीं है तो ऐसी समिति को भंग माना जाएगा तथा उक्त पांच वर्ष की अवधि बीतने के पश्चात् इसका नियमित ईकाई का स्वरूप समाप्त हो जाएगा ।"

धारा 25 का संशोधन । 3. मूल अधिनियम की धारा 25 में –

(क) खंड (घ) के पश्चात् परंतुक में निम्नलिखित खंड को सन्निविष्ट किया जाएगा अर्थात :–

"(ड.) यदि कोई सहकारी समिति निष्क्रिय हो जाती है तथा उसने सहकारी समिति सिद्धांतों तथा उपविधियों के अनुसार कार्य करना बंद कर दिया है, तो उसके प्रतिनिधियों को संघीय सहकारी समिति या वित्तीय बैंक या वित्तीय समिति के कार्यकलापों में मतदान का अधिकार नहीं होगा ।"

(ख) वर्तमान व्याख्या को व्याख्या I क्रमांक दिया जाएगा तथा क्रमांक I दी गई व्याख्या के पश्चात् निम्नलिखित व्याख्या को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:–

"व्याख्या II.– निष्क्रिय सहकारी समिति का अर्थ है ऐसी सहकारी समिति जिसने लगातार तीन वर्षो तक कामकाज नहीं किया है या लगातार तीन वर्षो तक जिसके खातों की लेखा परीक्षा नहीं की गई है !"

धारा 35 का संशोधन । 4 मूल अधिनियम में, धारा 35 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(1) मतदाता सूची को तैयार करने तथा समिति के सदस्यों के चुनाव करवाने का अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण का अधिकार समिति के पास होगा जो ऐसे व्यक्ति को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगी जो समिति का सदस्य या कर्मचारी नहीं होगा :

परंतु कार्यकारिणी समिति या सहकारी समिति के छठे भाग सदस्यों के अनुरोध पर, तथा सहकारी समिति में विवाद होने की स्थिति में पंजीयक सहकारी समिति का चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर सकता है :

परंतु यह और कि सरकारी राजपत्रित अधिकारी या निवृत्ति प्राप्त राजपत्रित अधिकारी को, सहकारी बैंक, वित्तीय बैंक, संघीय सहकारी समिति तथा ऐसी आवासीय समितियां जिन्हें भूमि का आवंटन किया गया है तथा धारा 77 के प्रावधानों के अनुसार लाटरी ड्रा नहीं निकाला गया है तथा वह आवासीय समितियां जो भूमि के आवंटन का इंतजार कर रही हैं, निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर सकती हैं ।"

धारा 60 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम में, धारा 60 में, उपधारा (1) में ,"सहकारी वर्ष के समाप्त होने के "नब्बे दिनों के भीतर" शब्दों के स्थान पर "वर्ष के खाते को पूरा करने के लिए निर्धारित तिथि से "एक सौ बीस दिन" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।"

धारा 75 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम में, धारा 75 में, निम्नलिखित परंतुक को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु सहकारी भवन निर्माण समिति अपनी सदस्यता में आवंटित प्लाटों से ज्यादा सदस्य समिति की उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार शेयर राशि और प्रवेश राशि तथा पांच हजार रूपये की अंतरण शुल्क लेकर शामिल कर सकती है यदि प्लाट के स्वामी ने प्लाट का निर्माण करके उसके तल बेच दिए हैं उस स्थिति में समिति उक्त आवेदक द्वारा सदस्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन जमा करने के पश्चात् तीस दिनों की अवधि के भीतर सदस्यता प्रदान करेगी तथा समिति द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने पर आवेदक समिति द्वारा अस्वीकृत किए जाने के तीस दिनों के भीतर पंजीयक को अपील कर सकता है तथा ऐसी अपील में पंजीयक का निर्णय अंतिम होगा ।"

धारा 77 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 77 की उपधारा (1) में "पंजीयक द्वारा" शब्दों के स्थान पर "निर्धारित समिति के पूर्व अनुमोदन के उपरांत "पंजीयक द्वारा" शब्दों को प्रतिस्थापित की जाएगा ।

धारा 79 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 79 के खंड (क) के अंत में आए शब्द "अन्तरण शुल्क जमा कराके" हटाए जाएंगे ।

धारा 91 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 91 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी:–

"91 किसी आवास समिति का कोई सदस्य, जिसने मुख्यतारनामे या बिक्री करार या विक्रय विलेख द्वारा अपना भूखण्ड या फ्लैट बेच दिया है वह भूखंड या फ्लैट की बिक्री तिथि से उस समिति का सदस्य नहीं रहेगा :

परंतु ऐसे खरीददार जिन्होंने भूखंड या फ्लैट पंजीकृत मुख्यतारनामे या बिक्री करार या पंजीकृत विलेख जो भी स्थिति हो द्वारा खरीदे हो वह पांच सौ रूपये का अन्तरण शुल्क तथा समिति की उपविधियों के उपबंधों के अनुसार शेयर धनराशि एवं प्रवेश शुल्क का भुगतान करके सदस्यता के लिए आवेदन कर सकता है और समिति उसके आवेदन पत्र जमा कराने के बाद तीस दिन के भीतर आवेदक को सदस्यता प्रदान करेगी । यदि समिति द्वारा अस्वीकृत किया जाता है तो आवेदक तीस दिन के भीतर पंजीयक को अपील कर सकता है और पंजीयक का निर्णय अंतिम होगा :

परंतु यह और कि कोई भी खरीददार किसी आवास समिति में एक से अधिक सदस्यता पाने का हकदार नहीं होगा ।"

धारा 92 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (6) में आए शब्द "सहकारी आवास समिति के कुल सदस्यता" के स्थान पर शब्द "बैठक में उपस्थित सदस्यों" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 96 का संशोधन ।

11 मूल अधिनियम की धारा 96 की उपधारा (1) (i) के खण्ड (क) तथा (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे :–

"(क) इसके पंजीकरण की तिथि से एक सौ अस्सी दिन के भीतर कामकाज प्रारंभ नहीं किया है या इसके सदस्यों की संख्या पन्द्रह से कम हो गई है ,

(ख) उपविधियों तथा सहकारिता सिद्धान्तों के अनुसार लगातार दो वर्ष कामकाज नहीं किया है,

(ग) लगातार पिछले तीन या अधिक वर्षों से समिति के लेखा की लेखा परीक्षा नहीं हुई है,

(ii) अंतिम भाग में जो शब्द "ऐसी सहकारी समिति" से शुरू है और शब्द "कामकाज कर रही या नहीं" से समाप्त है, इसके अंत में शब्द "अथवा इसके लेखा की लेखा परीक्षा करवा ली गई है," शामिल किए जाएंगे,

(III) उपधारा (2) के खंड (2) में इसके अंत में आए शब्द "कामकाज" के लिए शब्द "कामकाज या इसके लेखा की लेखा परीक्षा करा ली गई है, या" शामिल किए जाएंगे।"

धारा 139 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 139 को उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्याकिंत किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्याकिंत उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात :–

"(2) जहाँ सूचना पाने का इच्छुक कोई सदस्य या उधार देने वाला जिसका सहकारी समिति के मामलों में कोई हित निहित हो वह पंजीयक को यह उल्लेख करते हुए अपील दायर करता है कि बिना किसी यथोचित कारण के समिति के अधिकारी ने सूचना प्रदान करने के लिए उसका आवेदन पत्र प्राप्त करने से इंकार कर दिया है या उपधारा (1)के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या जानबूझकर झूठी सूचना दी है या सूचना प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की कोई अड़चन डाली है तो पंजीयक समिति के अधिकारी तथा अपीलकर्ता को सुनवाई का एक यथोचित अवसर देने के उपरांत या तो अपील रद्द कर सकता है, या समिति के अधिकारी को आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि में या प्रस्तुत किए जाने तक दो सौ पचास रूपये प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड लगा सकता है तथा इस प्रकार अर्थदण्ड की कुल राशि दस हजार रूपये से अधिक नहीं होगी जो कि भुगतान न करने पर भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूली जाएगी।""

(राकेश स्याल)
संयुक्त सचिव(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)